

28/11/24 आज पञ्जाबी पेशा इंडी क्लबपत्र
पञ्जाबी का अकेला नाम किया गया। इसके उपपत्र
की सदस्य पर मनन करने पर संघ पञ्जाबी
में संलग्न दस्तावेजी साक्ष के आधार पर
प्राथमिक/प्रतिवादी का मार्गना पत्र आदेश 7
नियम 11 जा. दी. को स्वीकार किया जाता
है। मूल काद खातिज किया जाता है। निरस्त
मिर्गीय पुस्तक से लिखा जा कर शा. मि. रद्द
बाद प्रति पञ्जाबी के सल शुमार हो कर
दो मूल दफ्तर हो।

24
सहायक कलक्टर
अमर